राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखण्ड

A1,आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून–248013

ई–मेल : ceo-shauk@uk.gov.in

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण

उत्तराखण्ड शासन

पत्रांक– रा0स्वा0प्रा0 / 2021-22 / 2067 दिनांक 21 मार्च, 2022

आयुष्मान मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल, सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर को निर्गत किये गये "निलम्बन एंव कारण बताओ नोटिस" के सम्बन्ध में प्राप्त उत्तर के क्रम में प्रकरण के निस्तारण के सम्बन्ध में आदेश

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण (SHA) द्वारा संचालित स्वास्थ्य योजनायें, प्रधानमंत्री जन–आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना एंव राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (PMJAY/AAUY/ SGHS) के अन्तर्गत सूचीबद्ध चिकित्सालय आयुष्मान मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल, सितारगंज, ट्रान्सपोर्ट नगर, निकट अमारिया चौराहा, सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर 262405 को प्राधिकरण के पत्रांक रा0स्वा0प्रा0 / 2021-22/2104 दिनांक 28 फरवरी, 2022 द्वारा "निलम्बन एंव कारण बताओ नोटिस" निर्गत किया गया, जो निम्न प्रकार है :–

निलम्बन एंव कारण बताओ नोटिस

हॉस्पिटल के क्लेम्स् के ऑडिट/जांच से यह विदित हुआ है कि कुल 27 केसेज, जिनकी धनराशि 7,82,180 (सात लाख ब्यासी हजार एक सौ अस्सी) रूपये है, में हॉस्पिटल द्वारा राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण में दाखिल किये क्लेम्स् में पैथोलॉजी रिपोर्टस, जो कि डॉ0 योगेश स्वामी, MD, पैथोलॉजी के नाम व हस्ताक्षर तथा हॉस्पिटल की मोहर के साथ दी गयी हैं, वे फर्जी हैं। डॉ0 योगेश स्वामी न तो इस हॉस्पिटल में कार्यरत् हैं और न ही उनका इस हॉस्पिटल से कोईं सम्बन्ध है। जांच के दौरान डॉ0 योगेश स्वामी द्वारा उनके नाम का गलत उपयोग करने तथा उनकी फर्जी हस्ताक्षर किये जाने की पुष्टि लिखित रूप में अपनी डिक्लेयरेशन दिनांक 29.01.2022 को 31 जनवरी, 2022 की ई–मेल द्वारा राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को भेजी गयी है, तथा जो स्पीड पोस्ट द्वारा भी दिनांक 16.02.2022 को राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को प्राप्त हुईं है। यह निम्न प्रकार है:–

TO WHOM IT MAY CONCERN

IT IS TO BE DECLARED THAT MYSELF, DR. YOGESH SWAMI, MD PATHOLOGY, WORKING AS PATHOLOGIST IN MY OWN HOSPITAL, SPARSH HOSPITAL, AWAS VIKAS, HALDWANI ON FULL TIME MANNER.

I AM NOT ASSOCIATED OR WORKING TO ANY OTHER PRIVATE OR GOVERNMENT HOSPITAL OR PATHOLOGY LAB IN ANY PART OF UTTARAKHAND ON FULL OR PART TIME BASIS. I AM NOT GIVEN AUTHORITY TO ANY OTHER PRIVATE OR GOVERNMENT HOSPITAL OR PATHOLOGY LAB TO USE MY CREDENTIALS WITHOUT MY PERMISSION.

THANKING YOU

DR. YOGESH SWAMI
MD PATHOLOGY
REG NO. UMC 7204

DATE: [illegible]

उक्त से स्पष्ट है कि हॉस्पिटल द्वारा फर्जी रिपोर्टस दाखिल करके क्लेम्स् प्राप्त करने हेतु न केवल राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ कपटपूर्ण व्यवहार/धोखाधड़ी की गयी है, वरन् रोगियों के समुचित उपचार व उनके जीवन की सुरक्षा की दृष्टि से भी यह एक गम्भीर आपराधिक कृत्य है।

हॉस्पिटल पर लगाये गये उक्त आरोप मरीजों के स्वास्थ्य/जीवन के लिए एक गम्भीर खतरा उत्पन्न कर सकता है, अतः सम्यक विचार एंव परीक्षण के उपरान्त हॉस्पिटल की इम्पैनलमेंट और डी–इम्पैनलमेंट की गाईडलाइन्स के अन्तर्गत हॉस्पिटल की सूचीबद्धता (Empanelment) तत्काल प्रभाव से निलम्बित (Suspend) की जाती है, ताकि भविष्य में ऐसी अनियमितताओं/मरीजों को गैर सुरक्षित उपचार/गलत भुगतान की संभावना से बचा जा सके।

उक्त आरोप के सम्बन्ध में हॉस्पिटल को "इम्पैनलमेंट और डी–इम्पैनलमेंट की गाईडलाइन्स" के अन्तर्गत यह **"कारण बताओ नोटिस"** भी दिया जाता है कि हॉस्पिटल के साथ किये

गये अनुबंध एंव राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) की गाईडलाईन्स के प्राविधानों के अनुसार **क्यों न हॉस्पिटल की सूचीबद्धता निरस्त करते हुये उसका डि–इम्पैनलमेंट कर दिया जाये।**

निलम्बन एंव कारण बताओ नोटिस का प्रत्युत्तर

आयुष्मान मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल, सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर द्वारा "निलम्बन एंव कारण बताओ नोटिस" का दिनांक 01.03.2022 को ई–मेल के माध्यम से उत्तर दिया गया जो निम्न प्रकार है :–

" सेवा में,

निदेशक
अटल आयुष्मान योजना उत्तराखण्ड।

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि आपके द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2022 को पत्रांक संख्या रा0स्वा0प्रा0/2021-22/2104 प्राप्त हुई जिसमें यह बताने की कोशिस की गयी है कि हमारे द्वारा 20 केसेस में फर्जी रिपार्टस लगाई गयी है जिसे आपने फ्रॉड माना है। हमारा जवाब इस प्रकार है :–

1. सितारगंज हल्द्वानी से 50 किलोमीटर, खटीमा से 40 किलोमीटर तथा रूद्रपुर से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां पर मेडिकल की सुविधाएं बहुत कम है। रेडियोलॉजिस्ट के कोई अल्ट्रासाउंड सेंटर नही है। इको/डोप्पलर/एम0आर0आई0 जैसी सुविधाओं का अभाव है। पैथोलॉजी लैब कम है तथा कभी–कभी पुरे सिटी में पैथोलॉजी की जांच नहीं हो पाती।
2. आयुष्मान अस्पताल सितारगंज में पैथोलॉजी लैब ना होने के कारण यहां से ब्लड रिपोर्ट्स अलग–अलग प्राइवेट लैब पे भेजी जाती है।
3. आयुष्मान अस्पताल सितारगंज से अस्पताल के कर्मचारियों का काशीपुर आना जाना लगा रहता है।
4. कभी–कभी सितारगंज में प्राइवेट पैथोलॉजी बंद होने पर ब्लड सैंपल अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा काशीपुर भिजवा दिया जाता था।
5. सर यदि 350 केसेस में से 20 केसेस में ब्लड रिपोर्ट्स में आपने फ्रॉड पाया तो इसमें आयुष्मान अस्पताल सितारगंज का कोई दोष नहीं है क्योंकि आयुष्मान अस्पताल सितारगंज में अपनी कोई पैथोलॉजी नहीं है।
6. यदि 20 केसेस में आपको कुछ अनियमितता मिली तो सर आप इन सभी केसेस को निरस्त कर दें क्योंकि आयुष्मान अस्पताल सितारगंज का किसी भी लैब के संचालन में कोई भी दखल नहीं है।
7. सर आयुष्मान अस्पताल सितारगंज लगभग 80 बेडेड हॉस्पिटल है जो सितारगंज जैसे मेडिकल लाइन में पिछड़ा स्थान में वरदान से कम नहीं है।

8. टनकपुर, वनवास, खटीमा, किच्छा, चम्पावत, नेपाल, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों के लिए आयुष्मान अस्पताल सितारगंज कोविड–19 महामारी, नाक, कान गला विभाग, अस्थि रोग विभाग, स्त्री रोग विभाग, पॉलीट्रामा विभाग, बाल रोग विभाग, NICU, जनरल सर्जरी विभाग, यूरो सर्जरी विभाग, मेडिसिन विभाग, ऑख रोग विभाग में उत्तम इलाज की सुविधा प्रदान करता है।

9. अतः आपसे निवेदन है कि अनजाने में हुई हमारी भूल को माफ करें तथा पुनः आयुष्मान योजना में कार्य करने का मौका दें। भविष्य में हम अपने मैनेजमेंट में सुधार करके इस तरह की गलतियों से बचेगें।

धन्यवाद

प्रबन्धक
आयुष्मान मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल
सितारगंज "

<u>हॉस्पिटल पर लगाये गये "आरोप", निर्गत किया गया "निलम्बन एवं कारण बताओ नोटिस", तथा "हॉस्पिटल का प्राप्त उत्तर" का राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा विश्लेषण एवं निष्कर्ष</u>

आयुष्मान मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, सितारगंज जिला ऊधम सिंह नगर पर यह आरोप है कि हॉस्पिटल द्वारा 27 केस (धनराशि 07 लारव 82 हजार 180 रुपये) में डॉ0 योगेश स्वामी, MD, पैथोलॉजी के नाम व हस्ताक्षर तथा हॉस्पिटल की मोहर के साथ फर्जी "पैथौलॉजी रिपोर्टस" क्लेम्स हेतु दाखिल की गयीं। डॉ0 योगेश स्वामी न तो इस हॉस्पिटल में कार्यरत् है और न ही उनका इस हॉस्पिटल से कोई सम्बन्ध है। डॉ0 योगेश स्वामी ने स्वयं डिक्लेरेशन दी, जो निम्न प्रकार है:–

" IT IS TO BE DECLARED THAT MYSELF, DR. YOGESH SWAMI, MD PATHOLOGY, WORKING AS PATHOLOGIST IN MY OWN HOSPITAL, SPARSH HOSPITAL, AWAS VIKAS, HALDWANI ON FULL TIME MANNER.
I AM NOT ASSOCIATED OR WORKING TO ANY OTHER PRIVATE OR GOVERNMENT HOSPITAL OR PATHOLOGY LAB IN ANY PART OF UTTARAKHAND ON FULL OR PART TIME BASIS. I AM NOT GIVEN AUTHORITY TO ANY OTHER PRIVATE OR GOVERNMENT HOSPITAL OR PATHOLOGY LAB TO USE MY CREDENTIALS WITHOUT MY PERMISSION."

अतः यह स्पष्ट है कि हॉस्पिटल द्वारा फर्जी रिपोर्टस् दाखिल करके क्लेम्स् प्राप्त करने हेतु न केवल राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ कपटपूर्ण व्यवहार/धोखाधड़ी की गयी है, वरन् रोगियों के समुचित उपचार व उनके जीवन की सुरक्षा की दृष्टि से भी यह एक गंभीर आपराधिक कृत्य है।

हॉस्पिटल ने अपने ई–मेल द्वारा भेजे उत्तर दिनांक 01-03-2022 में डॉ0 योगेश स्वामी के नाम व फर्जी हस्ताक्षर करके क्लेम्स् दाखिल करने के सम्बन्ध में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है। अतः यह स्पष्ट है कि क्लेम्स् प्राप्त करने हेतु पैथौलॉजी रिपोर्टस् पर डॉ0 योगेश स्वामी के हस्ताक्षर फर्जी हैं।

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण में हॉस्पिटल 21 सितम्बर, 2021 को एम्पैनल (Empanel) किया गया है। यह हॉस्पिटल आयुष्मान मल्टीस्पेशियलिटी, काशीपुर का एसोसियेट हॉस्पिटल है। **डॉ0 योगेश स्वामी से पुनः जानकारी प्राप्त करने पर उन्होंने अवगत कराया कि वे आयुष्मान मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, काशीपुर एंव एसोसियेट अस्पतालों में कभी भी कार्यरत् नही रहे हैं।** डॉ0 योगेश स्वामी द्वारा दिनांक 04 मार्च 2022 को राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को निम्न सूचित किया गया है:–

To,

Mr. Atul Joshi,

Dear Sir,

In reference to email sent by you dated 01 March 2022, stating that AYUSHMAN MULTISPECIALTY HOSPITAL KASHIPUR claiming that I had joined AYUSHMAN MULTISPECIALITY HOSPITAL KASHIPUR as MD Pathologist in previous years.

In reference to this statement by hospital I have to say that **I, Dr. Yogesh swami, MD Pathology, never worked as pathologist in AYUSHMAN MULTISPECIALITY HOSPITAL & ASSOCIATED HOSPITALS, Kashipur nor associated in pathology lab work of any of these hospitals directly or indirectly.**

Dr. Yogesh Swami

MD PATHOLOGY

SPARSH HOSPITAL HALDWANI

UMC NO. 7204

DATED- 04 MARCH 22

हॉस्पिटल द्वारा लगाये गये आरोप के उत्तर का भलिभांति अध्ययन एंव सम्यक् परीक्षण के उपरान्त राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हॉस्पिटल पर लगाया गया आरोप सिद्ध होता है। ऐसे हॉस्पिटल को सूचीबद्ध रखा जाना जनहित में वांछनीय नहीं है।

आदेश

आयुष्मान मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल, सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर को दिये गये "निलम्बन एंव कारण बताओ नोटिस" पत्रांक रा0स्वा0प्रा0/2021-22/2104 दिनांक 28 फरवरी, 2022 में लगाये गये आरोप के क्रम में उनके द्वारा दिये गये उत्तर दिनांक 01.03.2022 के सम्यक् परीक्षण एंव निष्कर्ष के उपरांत हॉस्पिटल एंव राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के मध्य अनुबंध के सैक्शन 11, अनेक्शर 6 तथा अन्य सुसंगत

प्राविधानों एंव राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण **(NHA)** द्वारा निर्गत **Guidelines on Hospital Empanelment and De-empanelment** के चैप्टर **6** के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत आयुष्मान मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल, सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर की सूचीबद्धता **(Empanelment)** तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुये उसका **De-empanelment** किया जाता है। आयुष्मान मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल, सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर के सम्बन्ध में अन्य कार्रवाई विधि अनुसार पृथक से की जायेगी। इस आदेश को श्री हर्ष अरोडा, डॉ0 विकास गहलौत, श्री विपिन गहलौत, आयुष्मान मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल, सितारगंज, युनिट ऑफ आयुष्मान मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल काशीपुर, ट्रान्सपोर्ट नगर निकट अमारिया चौराहा सितारगंज जिला ऊधमसिंह नगर **262405** को ई-मेल तथा रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाये।

(संजीव कुमार सिंह)
निदेशक, प्रशासन
(प्राधिकृत अधिकारी)
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA), भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, देहरादून।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, देहरादून।

प्रतिलिपिः–

1. Insurance Regulatory and Development Authority of India, Sy No. 115/1, Financial District, Manakramguda, Gachibowli, Hyderabad-500032.
2. Employees State Insurance, Regional Office, Wing No.4, Shivpuri, premnagar, Dehradun, Uttarakhand 248007, Tel : 0135-2771753, Email: Id-uchal@esic.nic.in.
3. Director, Health Services (ESIS), Village Makkawala, Near DIT College, Musssoorie Road Dehradun, Fax 0135-2734636, Email: diresidehradun@gmail.com.
4. Joint Director, CGHS, 19, Navyug Enclave, Indirapuram, Phase-3, Milan Vihar, GMS Road, Dehradun-248001, Email : cghsdehradun@rediffmail.com.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु :–

1. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
2. जिला अधिकारी, जनपद ऊधम सिंह नगर।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद ऊधम सिंह नगर।
4. समस्त निदेशक, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण (SHA) को इस आशय से प्रेषित की अपने डिवीजन से सम्बन्धित कार्रवाई सुनिश्चित करें।
5. राज्य समन्वयक, क्रियान्वयन सहायता एजेंसी, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण।
6. सीनियर मैनजेर, आई0टी0, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
7. आई0 ई0 सी0 सैल, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण।
8. श्री हर्ष अरोडा, डॉ0 विकास गहलौत, श्री विपिन गहलौत, आयुष्मान मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल, युनिट ऑफ आयुष्मान मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल काशीपुर, ट्रान्सपोर्ट नगर, निकट अमारिया चौराहा, सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर 262405, Email Id : ayushmansitarganj@gmail.com
9. गार्ड फाइल।

(संजीव कुमार सिंह)
निदेशक, प्रशासन
(प्राधिकृत अधिकारी)
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण